Website Link: mib.gov.in

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 26 सितम्बर, 2016

सा.का.नि. 184.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' नियम, 1989, को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, सूचना और प्रसारण मंत्रालय में भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :--

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय सूचना सेवा (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2016 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) "आयोग" से संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से केन्द्रीय सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय अभिप्रेत है;

(ग) "विभागीय अभ्यर्थी" से ऐसे अधिकारी अभिप्रेत हैं जिन्हें आयोग के परामर्श से या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति समिति को सिफारिश पर नियमित आधार पर नियुक्त किया गया है और जो इन नियमों के प्रारंभ पर समूह 'ख' कर्तव्य पद धारण करते हैं या समूह 'ख' कर्तव्य पद पर धारणाधिकार रखते हैं;

(घ) "विभागीय पुष्टि समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की किसी भी श्रेणी में पुष्टि पर विचार करने के लिए किया गया है ;

(ड.) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से ऐसी समिति अभिप्रेत है जिसका गठन अनुसूची-3 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा की किसी भी श्रेणी में प्रोन्नति पर विचार करने के लिए किया गया है ;

(च) "कर्तव्य पद" से अनुसूची-1 में सम्मिलित कोई पद, चाहे वह स्थायी हो या अस्थायी, अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" से केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "श्रेणी" से सेवा की कोई श्रेणी अभिप्रेत है;

(झ) "अन्य पिछड़ा वर्ग" में ऐसी जाति और समुदाय समाविष्ट होंगे जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित किए जाए ;

(ञ) किसी श्रेणी के संबंध में, "नियमित सेवा" से नियमित आधार पर इस संबंध में विहित प्रक्रिया के अनुसार नियुक्ति के पश्चात् उक्त श्रेणी में की गई सेवा की ऐसी अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और इसमें निम्नलिखित ऐसी कोई अवधि या अवधियां भी सम्मिलित हैं-

(i) सेवा के आरंभिक गठन के समय जिसे या जिन्हें ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए नियुक्त व्यक्तियों की दशा में गणना में लिया गया है;

(ii) जिनके/जिसके दौरान किसी अधिकारी ने उस श्रेणी में कर्तव्य पद धारण किया होता यदि वह छुट्टी पर न होता या वह ऐसा पद धारण करने के लिए किसी एक या अन्य कारण से उपलब्ध नहीं था;

(ट) "अनुसूची" से इन नियमों उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है;

(ठ) "अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति" का वही अर्थ होंगे जो उनका संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में है;

(ड) "सेवा" से नियम 3 के अधीन गठित भारतीय सूचना सेवा (समूह 'ख') अभिप्रेत है;

3. **भारतीय सूचना सेवा (समूह 'ख') का गठन**- (1) भारतीय सूचना सेवा (समूह 'ख') के नाम से ज्ञात एक सेवा होगी जिसमें नियम 6 और नियम 7 के अधीन सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्ति होंगे।

(2) सेवा में ज्येष्ठ श्रेणी पद (समूह 'ख', राजपत्रित, अननुसचिवीय) और कनिष्ठ श्रेणी पद (समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय) सम्मिलित होंगे ।

4. **श्रेणियां, प्राधिकृत संख्या और उनका पुनर्विलोकन-** (1) अनुसूची-1 में यथा विनिर्दिष्ट इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को मंत्रालय या विभाग या कार्यालय की सेवा की विभिन्न श्रेणियों, उनके पदाभिधानों, संख्या, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में सम्मिलित कर्तव्य पद आबंटित होंगे और अनुसूची-1 में यथा उल्लिखित विशिष्ट श्रेणी में सम्मिलित कर्तव्य पद एक दूसरे के साथ अंतर परिवर्तनीय होंगे ।

(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, विभिन्न श्रेणियों में कर्तव्य पदों की प्राधिकृत स्थायी संख्या वह होगी जो सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाए ।

(3) सरकार समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों के कर्तव्य पदों की संख्या में अस्थायी परिवर्धन कर सकती है या उन्हें घटा सकती है जैसा कि वह समय-समय पर आवश्यक समझे ।

(4) सरकार, सम्यक् रूप से गठित किसी काडर पुनर्विलोकन समिति की सिफारिशों पर और, यथास्थिति, आयोग या कर्मचारी आयोग के परामर्श से सेवा में (अनुसूची-1 में सम्मिलित सेवा से भिन्न) केवल ऐसे पत्रकारिता या प्रचार या जनसंपर्क पद सम्मिलित कर सकेगी जो प्रास्थिति, श्रेणी, वेतनमान और वृत्तिक अंतर्वस्तु में सेवा समतुल्य पदों को अथवा उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकती है ।

(5) उप नियम (4) में निर्दिष्ट काडर पुनर्विलोकन समिति में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे, अर्थात्:-

1.	संयुक्त सचिव (भारतीय सूचना सेवा से संबंधित)	-अध्यक्ष
2.	अपर महानिदेशक, पत्र सूचना कार्यालय	- सदस्य
3.	निदेशक, पत्रकारिता प्रभाग	-सदस्य
4.	निदेशक/उप सचिव (वित्त), सूचना और प्रसारण मंत्रालय	-सदस्य
5.	निदेशक/उप सचिव (भारतीय सूचना सेवा से संबंधित)	-सदस्य

(6) सरकार, आयोग या कर्मचारी चयन आयोग के परामर्श से ऐसे अधिकारी की जिसका पद इस नियम के उपनियम (4) के अधीन सेवा में सम्मिलित है, सेवा की समुचित श्रेणी में उचित समझे, अस्थायी या मूल हैसियत से, नियुक्ति कर सकेगी और उसकी ज्येष्ठता समय-समय पर इस विषय पर सरकार द्वारा जारी साधारण अनुदेशों के अनुसार नियत की जाएगी ।

5. सेवा के सदस्य- (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे:-

(क) नियम 6 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति; और

(ख) नियम 7 के अधीन कर्तव्य पदों पर नियुक्त व्यक्ति ।

(2) उपनियम (1) के खंड (क) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति पर अनुसूची 1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य समझा जाएगा ।

(3) उपनियम (1) के खंड (ख) के अधीन नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तारीख से अनुसूची-1 में उसे लागू समुचित श्रेणी में सेवा का सदस्य होगा ।

6. **सेवा का प्रारंभिक गठन-** (1) सेवा, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख को, ऐसे अधिकारी सम्मिलित होंगे जो अनुसूची 1 में विनिर्दिष्ट भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' के विभिन्न श्रेणी के पदों पर नियमित रूप से पहले से नियुक्त हैं ।

(2) इन नियमों के प्रवृत्त होने से पहले उपनियम (1) में निर्दिष्ट किसी व्यक्ति की नियमित निरंतर सेवा की अवधि, परिवीक्षा, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि, ज्येष्ठता और पेंशन के प्रयोजन के लिए गणना में ली जाएगी ।

(3) उस सीमा तक जहां तक नियंत्रक प्राधिकारी नियम 7 के उपबंधों के अनुसार सेवा की विभिन्न श्रेणियों में रिक्तियों की प्राधिकृत नियमित संख्या को भरने में असमर्थ हो तो ऐसी रिक्तियां नियम 7 के उपबंधों के अनुसार भरी जाएंगी ।

7. **सेवा का भविष्य में बनाए रखा जाना**-(1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात् अनुसूची-1 में निर्दिष्ट किसी में श्रेणी में उद्भूत होने वाली रिक्ति को इस नियम के अधीन इसके पश्चात् उपबंधित रीति से भरा जाएगी ।

(2) ज्येष्ठ श्रेणी (राजपत्रित) और कनिष्ठ श्रेणी (अराजपत्रित) में पदों से सेवा में नियुक्तियां अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट रूप में की जाएंगी ।

(3) अनुसूची-2 में यथाविनिर्दिष्ट किसी श्रेणी में प्रोन्नति या पुष्टि अथवा उस श्रेणी में पुष्टि अनुसूची-3 में विहित (विभागीय प्रोन्नति समिति या विभागीय पुष्टि समिति) की सिफारिशों के आधार पर की जाएगी ।

(4) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति अनुसूची-4 में यथाविहित रीति के अनुसार होगी ।

8. **परिवीक्षा**- (1) ज्येष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' में या कनिष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' में सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्ति प्रत्येक व्यक्ति की परिवीक्षा अवधि दो वर्ष की अवधि होगी :

परंतु नियंत्रक अधिकारी, समय समय पर सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को विस्तार कर सकेगा :

परंतु यह और कि परिवीक्षा अवधि के विस्तार किए जाने का कोई विनिश्चय पूर्ववर्ती परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और सम्बद्ध अधिकारी को लिखित रूप में ऐसा करने के लिए कारणों सहित और अवधि के भीतर संसूचित किया जाएगा ।

(2) परिवीक्षा अवधि या उसकी विस्तार की गई अवधि के पूरा हो जाने पर, अधिकारियों को, यदि स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त समझा जाए तो उन्हें नियमित आधार पर उनकी रिक्तियों में प्रतिधारित किया जाएगा और यथास्थिति, उन्हें सम्यक् अनुक्रम में उपलब्ध होने वाली मूल रिक्तियों के विरुद्ध पुष्ट किया जाएगा ।

(3) यदि, यथास्थिति, परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान, सरकार की यह राय है कि कोई अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार, कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसे अधिकारी को, यथास्थिति, सेवोन्मुक्त कर सकेगी या सेवा में उसकी नियुक्ति के पूर्व उसके द्वारा धारित पद पर उसे प्रतिवर्तित कर सकेगी ।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार किसी अभ्यर्थी से ऐसे प्रशिक्षण और अनुदेश पाठ्यक्रमों को पूरा करने और परीक्षाओं तथा परीक्षणों में उत्तीर्ण होने के लिए (जिसके अंतर्गत हिंदी परीक्षा भी है) जिन्हें सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरी करने की शर्त के रूप में उचित समझती है ।

(5) जहां तक परीवीक्षा से संबंधित अन्य विषय का संबंध है सेवा के सदस्य सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों द्वारा शासित होंगे ।

9. **ज्येष्ठता** : (1) सेवा के सदस्यों की सापेक्ष ज्येष्ठता उनकी उस सापेक्ष ज्येष्ठता द्वारा शासित होगी । परंतु यदि ऐसे किसी सदस्य की ज्येष्ठता की तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई है तो उसका अवधारण सरकार के अधीन समान सेवाओं के सदस्यों को लागू नियमों के अनुसार सरकार के कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाएगा।

(2) आरंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता समय समय पर सरकार द्वारा इस विषय में जारी किए गए साधारण अनुदेशों या आदेशों के अनुसार नियंत्रण प्राधिकारी द्वारा अवधारित की जाएगी ।

(3) नियम 4 के उपनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में सेवा में नियुक्ति अधिकारियों की ज्येष्ठता, समय-समय पर सरकार द्वारा जारी साधारण अनुदेशों के अनुसरण में नियत होगी ।

(4) यदि उपनियम (1) से (3) के अधीन नहीं आने वाले अधिकारियों का अवधारण आयोग के परामर्श से सरकार द्वारा किया जाएगा ।

10. **व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

11. **शिथिल करने की शक्ति** : जहां केद्रीय सरकार की यह राय हैं कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

12. **निर्वचन**: यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है तो सरकार उसका विनिश्चय करेगी ।

13. **सेवा में नियुक्ति**:- सेवा में सभी नियुक्तियां काडर नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी ।

14. भारत के किसी भी भाग में सेवा करने का दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें:- सेवा में नियुक्त अधिकारी का भारत में या किसी भी स्थान पर बाहर सेवा करने के दायित्व होगा।

अनुसूची-1

[नियम 2(च), 4(1), 4(4), 5(2), 5(3), 6(1), और 7 (1) देखिए]

क्रम सं.	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन	कार्यालय का नाम	पद नाम	पदों की संख्या
1.	ज्येष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' (9300-34800) ग्रेड वेतन 4600/- रुपए पीबी-2 (राजपत्रित) (अननुसचीवीय)	आकाशवाणी, समाचार सेवा प्रभाग	समाचार संपादक/ समाचार रिपोर्टर	74*
		प्रेस सूचना ब्यूरो	मीडिया और कम्युनिकेशन अधिकारी	22*
		प्रकाशन प्रभाग	संपादक	23*
		विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक	कैंपेन अधिकारी/क्षेत्र प्रदर्शनी अधिकारी/सहायक निदेशक	31*
		भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय	रजिस्ट्रीकरण पर्यवेक्षक	02*
		फिल्म प्रभाग	समीक्षा लेखक (भारतीय भाषा)	03*
		क्षेत्रीय प्रचार निदेशालय	क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी	91*
		नया मीडिया विंग	अनुसंधान अधिकारी	01*
		रक्षा मंत्रालय, जनसंपर्क निदेशालय	सहायक जनसंपर्क अधिकारी/सहायक संपादक (सैनिक समाचार)	12*
		गृह मंत्रालय, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो	संपादक/प्रचार अधिकारी	02*
		योजना आयोग	सहायक सूचना अधिकारी	02*
		प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग	सहायक संपादक	01*
			कुल	264
2.	कनिष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख'	प्रेस सूचना ब्यूरो	सूचना सहायक	86*

	(9300-34800) पीबी-2 में ग्रेड वेतन 4200/-रुपए (अराजपत्रित) (अनतुसचीवीय)			
		प्रकाशन प्रभाग	उप संपादक	08*
		भारत के समाचार पत्रों के रजिस्ट्रार का कार्यालय	रजिस्ट्रीकरण सहायक	06*
		नया मीडिया विंग	अनुसंधान अधिकारी	03*
		विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक	प्रदर्शनी सहायक/प्रचार सहायक /अनुसंधान सहायक	29*
		योजना आयोग	प्रचार अन्वेषक	01*
		प्रधानमंत्री कार्यालय	अनुसंधान सहायक	01*
			कुल	134

*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।

अनुसूची -2

[नियम 7 का उप नियम (2) देखें]

भर्ती की पद्धति, प्रोन्नति का क्षेत्र और भारतीय सूचना सेवा, समूह 'ख' की विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित किए गए कर्तव्य पदों के लिए प्रोन्नति पर अधिकारियों की नियुक्ति के लिए ठीक नीचे की श्रेणी में न्यूनतम अर्हक सेवा

क्र.सं.	ग्रेड	भर्ती की पद्धति	चयन पद अथवा अचयन पद	चयन का क्षेत्र
1.	ज्येष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख'	(i) 33.33 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	चयन	प्रोन्नति द्वारा भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' की कनिष्ठ श्रेणी के ऐसे अधिकारी जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष की नियमित सेवा की है । जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी

		(ii) 66.67 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता	अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। सीधी भर्ती द्वारा सीधी भर्ती अनुसूची 4 में विहित रूप में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा, चयन द्वारा की जाएगी
2.	कनिष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख'	100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा टिप्पण: दीर्घकालिक रिक्तियों को भरने के लिए मानक उपबंध	लागू नहीं होता	सीधी भर्ती द्वारा सीधी भर्ती अनुसूची 4 में विहित रूप में कर्मचारी चयन आयोग द्वारा चयन द्वारा की जाएगी

अनुसूची 3

[नियम 7 के उप नियम 2(घ), 2(ङ.) और (3) देखें]

भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' में सम्मिलित समूह 'ख' में सम्मिलित समूह 'ख' पदों की प्रोन्नति और पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति की संरचना

क्रम सं.	पद का नाम	समूह 'ख' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--	समूह 'ख' विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :--
1.	ज्येष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख'	1. संयुक्त सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भारतीय सूचना सेवा से संबंधित)-अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक), विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय-सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक), प्रेस सूचना ब्यूरो-सदस्य 4. अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (जो भारतीय सूचना सेवा से संबंधित) -सदस्य	1. संयुक्त सचिव (जो भारतीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के संबंध में कार्रवाई कर रहा है)-अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक), विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय-सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक), प्रेस सूचना ब्यूरो-सदस्य 4. अवर सचिव, सूचना और प्रसारण मंत्रालय (जो भारतीय सूचना सेवा से संबंधित) -सदस्य
2.	कनिष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख'	कोई नहीं	1. संयुक्त सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भारतीय सूचना सेवा से संबंधित)-अध्यक्ष 2. संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक), विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय-सदस्य 3. संयुक्त निदेशक (प्रशासन का भारसाधक), प्रेस सूचना ब्यूरो-सदस्य

			4. अवर सचिव सूचना और प्रसारण मंत्रालय (भारतीय सूचना सेवा से संबंधित) -सदस्य

अनुसूची 4

[नियम 7 का उप नियम (4) देखें]

भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' की विभिन्न श्रेणियों में सीधी भर्ती के लिए न्यूनतम शैक्षणिक और अन्य अर्हताएं, अनुभव और आयु सीमा

1. ज्येष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख'(राजपत्रित) (9300-34800), ग्रेड वेतन 4600/-रुपए (264 पद) :

सीधी भर्ती आयोग द्वारा नीचे दी गई रीति से चयन द्वारा की जाएगी ।

आयु सीमा -30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव

आवश्यक -

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री या समतुल्य ;

(ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से पत्रकारिता/जन संचार में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा ; या

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से पत्रकारिता/ जन संचार में डिग्री; या

(iii) किसी सरकारी विभाग/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ स्वायत्त शासित संगठन /समाचार अधिकरण /भारत में समाचार पत्र रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सूचीबद्ध पब्लिक संगठन में पत्रकारिता प्रचार के संबंध में कार्य का दो वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1 :- भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' (राजपत्रित) ज्येष्ठ श्रेणी में पदों की सीधी भर्ती भाषानुसार होगी । भाषा संबंधी आवश्यकता भर्ती के समय निश्चित होगी यहां भाषा के लिए प्रवर्ग /समुदाय के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा ।

अभ्यर्थी ने दसवीं कक्षा तक आवश्यक रूप से संबंधित भारतीय भाषा का अध्ययन किया हो ।

टिप्पण 2 :- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 3:- अनुभव संबधी अर्हता आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

1. कनिष्ठ श्रेणी भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) (9300-34800) ग्रेड वेतन 4200/-रुपए (अराजपत्रित) (अननुसचीवीय)रुपए (134 पद) :

सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नीचे दी गई रीति से चयन द्वारा की जाएगी ।

आयु सीमा - 30 वर्ष से अधिक नहीं (सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है ।)

टिप्पण- आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा-जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव -

आवश्यक : (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान की डिग्री या समतुल्य;

(ii) किसी मान्यता प्राप्ति विश्वविद्यालय /संस्थान से पत्रकारिता/ जन संचार में डिप्लोमा/स्नातकोत्तर डिप्लोमा

किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से पत्रकारिता/ जन संचार में डिग्री; या

वांछनीय: किसी सरकारी विभाग/ पब्लिक सेक्टर उपक्रम/ स्वायत्त शासित संगठन /समाचार अधिकरण /भारत में समाचार पत्र रजिस्ट्रार से रजिस्ट्रीकृत किसी अन्य सूचीबद्ध पब्लिक संगठन में पत्रकारिता प्रचार के संबंध में कार्य का एक वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1:- भारतीय सूचना सेवा समूह 'ख' (अराजपत्रित) ज्येष्ठ श्रेणी में पदों की सीधी भर्ती भाषानुसार होगी । भाषा संबंधी आवश्यकता भर्ती के समय निश्चित होगी यहां भाषा के लिए प्रवर्ग /समुदाय के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा ।

अभ्यर्थी ने दसवीं कक्षा तक आवश्यक रूप से संबंधित भारतीय भाषा का अध्ययन किया हो ।

टिप्पण 2:- अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कर्मचारी चयन आयोग/नियंत्रक प्राधिकरण के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

[सं. ए-42013/1/2012-आई.आई.एस.]

नीरज कुमार, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

New Delhi, the 26th September, 2016

G.S.R. 184.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Indian Information Service (Group 'B' posts) Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment for Indian Information Service Group 'B' posts in the Ministry of Information and Broadcasting, namely :-

1. **Short title and commencement.**- (1) These rules may be called the Indian Information Service (Group `B' posts) Rules, 2016.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) **"Commission"** means the Union Public Service Commission;

(b) **"Controlling Authority"** means the Central Government in the Ministry of Information and Broadcasting;

(c) **"Departmental Candidates"** means officers who have been appointed on regular basis in consultation with the Commission or through the Staff Selection Commission or on the recommendations of a Departmental Promotion Committee and who hold Group `B' duty posts or hold a lien on a Group `B' duty post at the commencement of these rules;

(d) **"Departmental Confirmation Committee"** means a Committee constituted to consider confirmation in any grade of service as specified in Schedule-III;

(e) **"Departmental Promotion Committee"** means a Committee constituted to consider promotion in any grade of service as specified in Schedule-III;

(f) **"Duty Post"** means any post, whether permanent or temporary, included in Schedule-I;

(g) **"Government"** means the Central Government;

(h) **"Grade"** means a grade of the Service;

(i) **"Other Backward Class"** shall comprise the castes and communities as may be notified by the Central Government from time to time;

(j) **"regular service"** in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after appointment, according to the prescribed procedure in this regard, on regular basis to that grade and includes any period or periods –

(i) taken into account for the purpose of seniority in case of those appointed at the initial constitution of the Service;

(ii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for one reason or the other for holding such posts;

(k) **"Schedule"** means Schedule annexed to these rules;

(l) **"Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes"** shall respectively have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) of article 366 of the Constitution;

(m) **"Service"** means the Indian Information Service (Group `B') constituted under rule 3.

3. **Constitution of the Indian Information Service Group 'B'.-** (1) There shall be a service known as the Indian Information Service (Group `B') consisting of persons appointed to the Service under rules 6 and 7.

(2) The Service shall consist of Senior Grade posts (Group 'B' Gazetted, Non-Ministerial) and Junior Grade posts (Group 'B' Non-Gazetted, Non-Ministerial).

4. **Grades, authorised strength and its review.-** (1) The duty posts included in the various grades of the Service, their designations, numbers, Pay Band and Grade Pay of the Ministry or Department or Office-wise allocation on the date of commencement of these rules shall be as specified in Schedule-I and the duty posts included in the particular grade as mentioned in the Schedule-I would be inter-changeable with one another.

(2) After the commencement of these rules, the authorised permanent strength of duty posts in various grades shall be such as may be determined by the Government from time to time.

(3) The Government may make temporary additions or deletions to the strength of the duty post in various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, on the recommendation of a duly constituted Cadre Review Committee and in consultation with the Commission or Staff Selection Commission, as the case may be, include in the Service (other than those included in Schedule-I) only such Journalistic or Publicity or Public Relations posts which are equivalent to the posts, in the service in status, grade, pay scale and professional content or exclude from the service a post included in the said Schedule.

(5) The Cadre Review Committee referred to in sub-rule (4) shall consist of the following, namely:-

1.	Joint Secretary (dealing with Indian Information Service)	-Chairman
2.	Additional Director General, Press Information Bureau	-Member
3.	Director, Publications Division	-Member
4.	Director/ Deputy Secretary (Finance), Ministry of Information and Broadcasting	- Member
5.	Director/Deputy Secretary (dealing with Indian Information Service)	- Member Secy.

(6) The Government may, in consultation with the Commission or Staff Selection Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4) to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit and his seniority shall be fixed in accordance with the general instructions issued by the Government on the subject from time to time.

5. **Members of the Service.-** (1) The following persons shall be the members of the Service.- (a) persons appointed to duty posts under rule 6; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7.

(2) A person appointed under clause (a) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be a member of the service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I.

(3) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall be the member of the Service in the appropriate grade applicable to him in Schedule-I from the date of such appointment.

6. **Initial constitution of the Service.-** (1) The Service shall, on the date of commencement of these rules, consist of officers who have already been appointed to the Indian Information Service Group 'B' in various Grades as specified in Schedule-I on a regular basis.

(2) The regular continuous service of a person referred to in sub-rule (1) prior to the commencement of these rules shall count for the purpose of probation, qualifying service for promotion, confirmation, seniority and pension.

(3) To the extent the Controlling Authority is not able to fill the authorised regular strength of vacancies in various grades in the Service in accordance with the provisions of this rule, the same may be filled in accordance with the provisions of rule 7.

7. **Future maintenance of the Service.-** (1) Any vacancy arising in any of the grades referred in Schedule-I after commencement of these rules shall be filled in the manner hereinafter provided under this rule.

(2) Appointments in the Service to posts in Senior Grade (Gazetted) and Junior Grade (Non-Gazetted) shall be made as specified in Schedule-II.

(3) Appointment to a grade by promotion as specified in Schedule-II or confirmation in the grade shall be made on the basis of the recommendation of the Departmental Promotion Committee or Departmental Confirmation Committee specified in Schedule-III.

(4) The appointment by direct recruitment as specified in Schedule-II shall be made in the manner as specified in Schedule-IV.

8. **Probation.-** (1) Every person on appointment to the Service by direct recruitment either to Senior Grade Indian Information Service Group 'B' or Junior Grade Indian Information Service Group 'B' shall be on probation for a period of two years:

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the instructions or orders issued by the Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of period of probation shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous period of probation and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be retained in their appointment on regular basis and be confirmed in due course against the available substantive vacancies, as the case may be.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may, for reasons to be recorded in writing, discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by the Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations and tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit as a condition to satisfactory completion of the probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by the instructions or orders issued by the Government from time to time in this regard.

9. **Seniority.-** (1) The relative seniority of the members of Service shall be governed by their relative seniority obtaining on the date of commencement of these rules, provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be as determined by the Controlling Authority as per orders and instructions issued by the Government on the subject from time to time.

(2) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined by the Controlling Authority in accordance with the general instructions or orders issued by the Government on the subject from time to time.

(3) The seniority of officers appointed to the Service in accordance with the provisions of sub-rule (4) of rule 4 shall be fixed in accordance with the general instructions issued by the Government on the subject from time to time.

(4) If the seniority of officers is not covered under sub-rules (1) to (3), the same shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

10. **Savings.-** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government, from time to time, in this regard.

11. **Power to relax.-** Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

12. **Interpretation.-** If any question arises as to the interpretation of these rules, the Government shall decide the same.

13. **Appointment to the Service.-** All appointments to the Service shall be made by the Cadre Controlling Authority.

14. **Liability for service in any part of India and other conditions of service.-** Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

SCHEDULE-I

[See rules 2(f), 4(1), 4(4), 5(2), 5(3), 6(1) and 7(1)]

S. No.	Pay Band and Grade Pay	Name of Office	Designation	Number of posts
1.	Senior Grade Indian Information Service Group 'B' (Rs.9300-34800) Grade Pay Rs.4600/- in PB-2 (Gazetted) (Non-Ministerial)	All India Radio, News Services Division	News Editor/ Correspondent/News Reporter	74*
		Press Information Bureau	Media and Communications Officer	22*
		Publications Division	Editor	23*
		Directorate of Advertising and Visual Publicity	Campaign Officer/Field Exhibition Officer/Assistant Director	31*
		Office of the Registrar of Newspapers for India	Registration Supervisor	02*
		Film Division	Commentary Writer (Indian Languages)	03*
		Directorate of Field Publicity	Field Publicity Officer	91*
		New Media Wing	Research Officer	01*
		Ministry of Defence, Directorate of Public Relations	Assistant Public Relations Officer/ Assistant Editor(Sainik Samachar)	12*
		Ministry of Home Affairs, Bureau of Police Research and Development	Editor/ Publicity Officer	02*
		Planning Commission	Assistant Information Officer	02*
		Department of Administrative Reforms and Public Grievances	Assistant Editor	01*
			Total	**264**
2.	Junior Grade Indian Information Service Group 'B' (Rs.9300-34800) Grade Pay Rs.4200/- in PB-2 (Non-Gazetted) (Non-Ministerial)	Press Information Bureau	Information Assistant	86*
		Publications Division	Sub-Editor	08*
		Office of the Registrar of Newspapers for India	Registration Assistant	06*
		New Media Wing	Research Assistant	03*
		Directorate of Advertising and Visual Publicity	Exhibition Assistant/ Publicity Assistant/Research Assistant	29*
		Planning Commission	Publicity Investigator	01*
		Prime Minister Office	Research Assistant	01*
			Total	**134**

* Subject to variation dependent on workload.

SCHEDULE-II

[See sub-rules (2) of rule 7]

Method of recruitment, field of promotion and minimum qualifying service in the next lower grade for appointment of officers in promotion to duty posts included in the various grades of the Indian Information Service Group ' B'

S. No.	Grade	Method of recruitment	Whether selection or non-selection	Field of selection
1.	Senior Grade Indian Information Service Group 'B'	(i) 33.33% by promotion	Selection	**By promotion** Officers in the Junior Grade Indian Information Service Group 'B' with five years regular service in the grade. Where juniors who have completed their qualifying/eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period. **By direct recruitment**
		(ii) 66.67% by direct recruitment	Not applicable	Direct recruitment shall be made by the Commission as specified in Schedule-IV.
2.	Junior Grade Indian Information Service Group 'B'	100% by direct recruitment **Note** - Standard provision for filling up long term vacancies	Not applicable	**By direct recruitment** Direct recruitment shall be made by Staff Selection Commission as specified in Schedule-IV

Schedule III

[See rules 2(d), 2(e) and sub-rule (3) of rule 7]

Composition of Group `B' Departmental Promotion Committee for considering cases of promotion and confirmation of Group `B' posts, included in the Indian Information Service Group `B'

S. No.	Name of posts	Group 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of -	Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of -
1.	Senior Grade Indian Information Service Group 'B'	1. Joint Secretary (dealing with Indian Information Service), Ministry of Information and Broadcasting - Chairman 2. Joint Director(in-charge of Administration), Directorate of Advertising and Visual Publicity - Member 3. Joint Director (in-charge of Administration), Press Information Bureau – Member. 4. Under Secretary (dealing with Indian Information Service), Ministry of Information and Broadcasting - Member	1. Joint Secretary (dealing with Indian Information Service), Ministry of Information and Broadcasting - Chairman 2. Joint Director(in-charge of Administration), Directorate of Advertising and Visual Publicity - Member 3. Joint Director (in-charge of Administration), Press Information Bureau – Member. 4. Under Secretary (dealing with Indian Information Service), Ministry of Information and Broadcasting - Member

2.	Junior Grade Indian Information Service Group 'B'	Nil	1. Joint Secretary (dealing with Indian Information Service), Ministry of Information and Broadcasting - Chairman 2. Joint Director(in-charge of Administration), Directorate of Advertising and Visual Publicity - Member 3. Joint Director (in-charge of Administration), Press Information Bureau – Member. 4. Under Secretary (dealing with Indian Information Service), Ministry of Information and Broadcasting - Member

Schedule IV
[See sub- rule (4) of rule 7]

Minimum educational and other qualifications, experience and age limit for direct recruitment to various grades of the Indian Information Service, Group 'B'.

1. Senior Grade Indian Information Service Group 'B '(Gazetted) (Rs.9300-34800), Grade Pay Rs.4600/- (264 Posts) :

Direct recruitment shall be made by the Commission in the manner stated below:-

Age limit - Not exceeding 30 years (Relaxable for Government servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Government)

Note - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational qualifications and experience etc., for direct recruitment

Essential.- (i) Degree of a recognized University or Institute;

(ii) Diploma/Post Graduate Diploma in Journalism/Mass Communication from a recognized University/Institution; or

Degree in Journalism and Mass Communication from a recognized University/Institute;

(iii) Two years experience of journalistic, publicity or public relation work in a Government Department/Public Sector Undertaking/Autonomous Organization / News agency/Newspaper registered with the Registrar of News Papers of India / any other Listed Private Organization.

Note.1 - Direct recruitment to posts in Senior Grade Indian Information Service Group `B' (Gazetted) shall be made language-wise. The exact language requirement shall be indicated at the time of recruitment. There shall be no category-wise/community-wise reservation for any of the languages.

The candidates must have studied the concerned Indian language upto 10^{th} Class.

Note.2 - Qualifications are relaxable at the discretion of the Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidate otherwise well qualified.

Note.3 - The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Commission in case of candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if at any stage of selection, the Commission for reasons to be recorded in writing, is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

2. Junior Grade Indian Information Service Group 'B' (Non-Gazetted) (Rs.9300-34800) Grade Pay Rs.4200/- (134 Posts) :

Direct recruitment shall be made by the Staff Selection Commission in the manner stated below:-

Age limit - Not exceeding 30 years (Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Government)

Note - The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub Division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep).

Educational qualifications and experience etc., for direct recruitment -

Essential: -

(i) Degree of a recognized University or Institute;

(ii) Diploma/Post Graduate Diploma in Journalism/Mass Communication from a recognized University/Institute; or

Degree in Journalism and Mass Communication from a recognized University/Institute.

Desirable:

One year experience of journalistic, publicity or public relation work in a Government Department/Public Sector Undertaking/Autonomous Organization / News agency/ Newspaper registered with the Registrar of News Papers of India / any other Listed Private Organization.

Note 1 .- Direct recruitment to posts in Junior Grade IIS Group `B' (Non-Gazetted) shall be made language-wise. The exact language requirement shall be indicated at the time of recruitment. There will be no category-wise/community-wise reservation for any of the languages.

The candidates must have studied the concerned Indian language upto 10th Class.

Note.2 .- Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/Controlling Authority, for reasons to be recorded in writing, in case of candidate otherwise well qualified.

[No. A-42013/1/2012-IIS]

NEERAJ KUMAR, Under Secy.